

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान एवं यात्रा हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 10.00 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।